

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।  
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)  
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/ जोन जोधपुर/एक्स-34(से0नि0)00516/2025/47

दिनांक:-29/01/25

--:: आदेश ::--

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	लिल्ली मैथ्यूई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिण्डवाडा सिरोही	15.01.1965	31-01-2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/ जोन जोधपुर/एक्स-34(से0नि0)00516/2025/47

दिनांक:-29/01/25

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिण्डवाडा सिरोही।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी(अराजपत्रित)/टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :29-01-2025 11:16:11